

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 85/2017 राजस्व अपील

1. बाबूलाल पुत्र टुण्डा जाति बैरवा निवासी छोकरवाडा तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 30.03.2017 मुकदमा नं० 307/2017 सरकार बनाम बाबूलाल अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट।

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्त उप०।

: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप०।

—: निर्णय :-


दिनांक: 01.11.2017



संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का छोकरवाडा द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम छोकरवाडा तहसील सिकराय में स्थित गैर मुमकिन रास्ता भूमि खसरा नंबर 849 रकबा 0.02 है० पर पक्का मकान, शोचालय व पुख्ता दीवार का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर पुराना कब्जा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 30.03.2017 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 30.03.2017 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्त का कोई कब्जा नहीं है इसके बावजूद भी


अति० जिला कलक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या : 85/2017 राजस्व अपील

पटवारी हल्का द्वारा झूठी मौका रिपोर्ट पेश कर दि गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति एवं अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (कब्जा काशत नही होने का शपथ पत्र) का अवलोकन नही करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम छोकरवाडा तहसील सिकराय में स्थित गैर मुमकिन रास्ता भूमि खसरा नंबर 849 रकबा 0.02 है० पर पक्का मकान, शोचालय व पुख्ता दीवार का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 30.03.2017 को अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2017 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2017 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(राजवीर सिंह चौधरी)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा